रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24022026-270438
CG-DL-E-24022026-270438

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 135] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 24, 2026/फाल्गुन 5, 1947
No. 135] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 24, 2026/PHALGUNA 5, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(औषध विभाग)

(विद्यापीठ और अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 141(अ).— केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 1998 (1998 का 13) की धारा 30ङ. द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् (राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियम, 2022 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिषद (राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) संशोधन नियम 2026 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिषद् (राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान) नियम, 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है, के नियम 7 में,—

(i) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(4) अध्यक्ष, परिषद द्वारा तत्काल कार्यवही वाली किसी अप्रत्याशित स्थिति में, कारणों के लिए जिन्हें लेखबद्ध किया जा सके, जैसा भी आवश्यक समझें, कार्यवाही कर सकेगा ।

(4क) उप-नियम (4) के अधीन की गई कोई कार्यवाही को यथाशीघ्र परिषद की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा और परिषद का विनिश्चय ही अभिभावी होगा ।";

(ii) उप-नियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(5) यदि कार्य या विवाद के किसी मद प परिषद का विनिश्चय अपेक्षित है तो अध्यक्ष द्वारा यथानिदेशित होने पर संकल्प के प्रारुप के रुप में सभी सदस्यों के ई-मेल पर, भेजा जा सकेगा, जो सदस्यों से बहुमत प्राप्त होने पर अनुमोदन के लिए परिषद द्वारा पारित समझा जाएगा ।

(5क) उप नियम (5) के अधीन पारित समझा गया ऐसा कोई संकल्प परिषद की अगली बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा ।"।

3. उक्त नियमों के नियम 8 में, "नियम 4" शब्द और अंक के स्थान पर "नियम 5" शब्द और अंक रखे जाएंगे ।

4. उक्त नियमों के हिंदी पाठ में इस संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

[फा. सं. 50013/2/2022-एनआईपीईआर]

सत्य प्रकाश टी एल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: परिषद (राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान) नियम 2022, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 408 (अ) तारीख 1 जून, 2022 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Pharmaceuticals)

(ACADEMIA AND RESEARCH DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th February, 2026

G.S.R. 141(E).—In exercise of the powers conferred by section 30E of the National Institutes of Pharmaceutical Education and Research Act, 1998 (13 of 1998), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Council (National Institute of Pharmaceutical Education and Research) Rules, 2022, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Council (National Institute of Pharmaceutical Education and Research) Amendment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Council (National Institute of Pharmaceutical Education and Research) Rules, 2022 (hereinafter referred to as "the said rules"), in rule 7,—

(i) for sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(4) In case of an emergent situation warranting immediate action by the Council, the Chairperson may, for reasons to be recorded in writing, take such action as may be deemed necessary.

(4A) Any such action taken under sub-rule (4) shall be placed, as early as possible, in the next meeting of the Council for its ratification and the decision of the Council shall prevail.";

(ii) for sub-rule (5), the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(5) When any item of business or issue requires decision of the Council, if the Chairperson so directs, may be circulated to the members at their official email addresses as a draft resolution, which shall be deemed to have been passed by the Council, if it is approved by majority of the members.

(5A) Any resolution so deemed to have been passed under sub-rule (5) shall be placed at the next meeting of the Council for ratification.".

3. In the said rules, in rule 8, for the word and figure "rule 4", the word and figure "rule 5" shall be substituted.

4. In the said rules, for the words "National Institute" wherever they occur, the words "National Institutes" shall be substituted.

[F. No. 50013/2/2022-NIPER]

SATYAPRAKASH T L, Jt. Secy.

Note: The Council (National Institute of Pharmaceutical Education and Research) Rules, 2022 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R.408 (E), dated the 1st June, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA